(a) and (b) The Bangladesh Government have agreed to take back all the refugees. President Ershad of Bangladesh assured the Home Minister during his visit to New Delhi in July, 1986, that all the refugees would be taken back. However, the process of repatriation has not yet started. The matter is being pursued with the Bangladesh authorities.

Insurgency Activities in Nagaland and Manipur

3064. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply to the Unstarred Question 1549 given in the Rajya Sabha on the 7th August, 1986 and state:

(a) the results obtained as a result of the steps so far taken to curb the activities of the exteremists in Nagaland;

(b) whether there is any foreign involvement in the increased insurgencies; and

(c) if so, details in that regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) As a result of the steps taken to curb the activities of extremists in Nagaland, 6 extremists were killed in encounters, 64 extremists have been arrested and another 31 have surrendered upto November, 1986 this year.

(b) and (c) Nothing definite has been known to establish the involvement of any foreign hand in the insurgency activities in Nagaland.

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

3065. **श्री शरद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनमें चन्द्रशेखर आजाद के सहयोगी, झाबुआ जिले के श्री गोपाल सिंह गहलौत भी शामिल हैं, बार-बार अभ्यावेदन दिए जाने के बाद स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के अधीन पेंशन दिए जाने की स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अधीन पेंशन देने के लिए प्राप्त हुए अधिकांश आवेदनों को सरकार द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है । मध्य प्रदेश राज्य से 1972 और 1980 की दोनों योजनाओं के अधीन अब तक प्राप्त 8296 आवेदनों में से 3145 मामलों में पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है और केवल 228 मामले राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट/स्पष्टीकरण अथवा/और आवेदकों से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं । शेष आवेदनों को आवेदकों द्वारा स्वीकार्य दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है ।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 31 मार्च, 1982 थी और अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाता है । फिर भी, मियाद खत्म हुए ऐसे आवेदन जिनके साथ यातना के दावों के बारे में सरकारी रिकार्डों के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य लगे होते हैं, पर देरी की माफी के लिए विचार किया जाता है और पात्र मामलों में पेंशन स्वीकृत की जाती है । चूंकि श्री गोपाल सिंह गहलौत का आवेदन इस मंत्रालय में 25 मई, 1982 को अर्थात् अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपनी यातना के दावे के प्रमाण में सरकारी रिकार्डों के आधार पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया था और तदनुसार 29-11-1982 को उन्हें सूचना भेज दी गई थी ।